



कार्यालय उप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर, वृत्त-उदयपुर  
( RHB Office Building पारस तिराहा सेक्टर-11, उदयपुर-313001 )

E-MAIL - DHCUDPR.RHB@RAJASTHAN.GOV.IN

Phone - 94138 12392  
99839 93914



पत्र क्रमांक :- उप आ.आ./वृत्त-उदय/2023-24/2026

दिनांक :- 14/02/2024

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत वृत्त उदयपुर के अधीन बांसवाडा शहर की परतापुर आवासीय योजना में स्वतन्त्र आवासों के लिये नवीन पंजीकरण योजना 2023 के अन्तर्गत प्राप्त पंजीकरण/आवेदन पत्रों की वरीयता निर्धारण लॉटरी जिला आवंटन समिति द्वारा कम्प्युटर रेण्डम प्रणाली से दिनांक 27.02.2024 को दोपहर 03.00 बजे सम्पन्न की जाएगी, लॉटरी कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक/समय
1	अस्थायी सूची के प्रकाशन की तिथि	20.02.2024 दोपहर 02.00 बजे
2	आक्षेप प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय	23.02.2024 दोपहर 3.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की अन्तिम स्थायी सूची का प्रकाशन	26.02.2024 सायं 4.00 बजे
4	वरीयता निर्धारण लॉटरी की तिथि एवं समय	27.02.2024 दोपहर 03.00 बजे
5	स्थान	कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल परतापुर जिला-बांसवाडा

नोट:-

1. यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
3. अस्थाई सूची व स्थायी सूची एवं वरीयता लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/rhb> पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी।
4. लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-उदयपुर